

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 111/319

पटना, दिनांक 12.2.19

प्रेषक,

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 19/2018

सेवा में,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

विषय :-

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना।  
मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक  
उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण  
हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास  
कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01-लघुकार्य के अन्तर्गत  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिए एक ई०  
रेडिएशन-सह-पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित इकाई की स्थापना हेतु  
रु० 5083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र के योजना  
की स्वीकृत राशि में से रु० 10.43 लाख (दस लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र के व्यय  
की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषय शीर्ष-0163.27.01 लघुकार्य मद में  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 10.43 लाख (दस लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत  
किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य  
शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार,  
वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं  
रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.  
01-लघुकार्य मद के अन्तर्गत विकलित होगा।

3

यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 184 दिनांक 11.02.19 के  
आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही  
किया जाये तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :-  
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा  
तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम  
475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी  
हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित  
रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 111/3176/  
प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 12.2.19

RS  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 111/3176/  
प्रतिलिपि :-

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/प्रशाखा-03, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-01 योजना(स0)/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 12.2.19

RS  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।